शिक्षण संस्थाएँ

उपरोक्त कार्यालयों के अतिरिक्त निम्नांकित शिक्षण संस्थाएं हैं जो छात्र, छात्राओं के लिए सुचारु रुप से शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षण व्यवस्था संचालित कर रही हैः–

संख्या		सरकारी	गैर सरकारी एवं अनुदानित विद्यालय	योग
1	उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान	02	--	02
2	सी.टी.ई.	--	09	09
3	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	--	442	442
4	शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	01	10	11
5	उच्च माध्यमिक विद्यालय	2528	1970	4498
6	माध्यमिक विद्यालय	3777	4686	8463
7	राजस्थान राज्य खुला विद्यालय	01	--	01

विशिष्ठ संस्थाएं :–

1. उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर
2. राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर
3. सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर/अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जोधपुर
5. गुरूनानक संस्थान, जयपुर
6. राजकीय अन्ध विद्यालय, बीकानेर/जोधपुर/अजमेर
7. राजकीय मूक बधिर विद्यालय, बीकानेर/बांसवाड़ा/जयपुर

माध्यमिक शिक्षा में संचालित शैक्षिक प्रवृतियॉ

शिक्षण व्यवस्था :–

माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों के भविष्य निर्माण के लिए पर्याप्त तैयारी करनी होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मे यह अवधारणा व्यक्त की गई है कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार से देश के आर्थिक विकास हेतु उपयुक्त एवं बहुमूल्य मानव शक्ति उपलब्ध कराई जा सकती है। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र मे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास एवं विस्तार अनवरत जारी है। राज्य में वर्तमान में 3272 राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं 3043 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। जिसमें से बालिकाओं के 302 राजकीय माध्यमिक तथा 502 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का साक्षरता प्रतिशत 61.03 है। पुरुष 76.46 एवं महिला साक्षरता 44.34 प्रतिशत है।

माध्यमिक स्तर की परीक्षा उतीर्ण करने पर छात्र–छात्राओं को उच्च माध्यमिक स्तर पर निम्न संकायों में उनके नाम के सामने अंकित विषयों की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैः

अनिवार्य विषयः हिन्दी, अंग्रेजी, पर्यावरण शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा एवं कम्प्यूटर(अतिरिक्त अनिवार्य)

ऐच्छिक विषयः

1.	कला	हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, राजस्थानी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गणित, चित्रकला, संस्कृत, गुजराती, संगीत, दर्शन शास्त्र ,गृह विज्ञान,फारसी साहित्य,मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन
2.	विज्ञान	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान,भू विज्ञान एंव गणित
3.	वाणिज्य	लेखा शास्त्र,व्यवसायिक प्रबन्ध, व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन,टंकण, व्यावसायिक सूचना व्यवस्था एवं अनुप्रयोग व आशुलिपि (हिंदी व अंग्रेजी)
4.	कृषि	शस्य विज्ञान, कृषि–रसायन विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन, दुग्ध विज्ञान तथा कृषि–जीव विज्ञान
5.	ललित कला	चित्रकला, संगीत
6.	गृह विज्ञान	आहार विज्ञान एवं पोषण, गृह प्रबन्ध वस्त्र एंव परिधान, मानव वृद्धि विकास एवं पारिवारिक सम्बन्ध
7.	कम्प्यूटर विज्ञान	ऐच्छिक

विद्यालय कमोन्नतिः–

वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता एंव योजना के अनुसार राजकीय विद्यालयो को उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक स्तर एवं माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक स्तर की कमोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही राज्य सरकार स्तर पर की जाती है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र के विद्यालयों के कमोन्नति के लिए आयुक्तालय द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथियां निर्धारित कर समाचार–पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता है।

राजकीय विद्यालयों के क्रमोन्नति हेतु मानदण्ड :

आधार	माध्यमिक स्तर हेतु मानदण्ड		उच्च माध्यमिक स्तर हेतु मानदण्ड	
	सामान्य क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी जनजाति मेवात क्षेत्र
जनसंख्या				
छात्र	2500	2000	4000	3000
छात्रा	3000	2500	5000	4000
अन्तिम कक्षा की छात्र–छात्रा संख्या				
छात्र विद्यालय	30	20	50	30
छात्रा विद्यालय	20	20	40	25
फीडर विद्यालयों की संख्या	02	02	02	02
दूरी(किमी)– राज्य सरकार के प्रस्तावों के अनुरुप		08	08	

विद्यालय क्रमोन्नति के अन्य आधारः

1. उपलब्ध वित्तीय प्रावधान
2. प्रशासकीय आधार
3. क्षेत्रीय शैक्षिक आवश्यकता
4. भौगोलिक परिस्थितियां
5. क्षेत्र में संचालित अन्य विद्यालयों का आपसी अनुपात
6. समग्र स्थिति पर गुणवत्ता का आकलन

राजकीय विद्यालयो की क्रमोन्नति का वर्ष 1980–81 से विवरणः दिनांक : 25.12.2007

वर्ष	माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति			उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1980-81	240	12	252	01	--	01
1981-82	--	--	--	02	--	02
1982-83	--	--	--	187	24	211
1983-84	--	--	--	--	--	--
1984-85	352	39	391	75	23	98
1985-86	--	--	--	01	--	01
1986-87	--	53	53	--	--	--
1987-88	--	--	--	--	--	--
1988-89	--	--	--	01	--	01
1989-90	643	92	735	--	--	--
1990-91	--	--	--	--	10	10
1991-92	104	37	141	41	21	62
1992-93	67	17	84	17	09	26
1993-94	22	26	48	12	19	31
1994-95	126	19	145	115	50	165
1995-96	79	07	86	42	06	48
1996-97	72	10	82	57	13	70
1997-98	214	20	234	114	23	137
1998-99	170	11	181	61	24	85
1999-2000	357	43	400	172	28	200
2000-2001	173	17	190	169	21	190
2001-2002	--	--	--	--	--	--
2002-2003	361	43	404	318	58	376
2003-2004	02	--	02	01	--	01
2004-2005	383	22	405	176	31	207
2005-2006	443	48	491	217	31	248
2006-2007	06	--	06	06	--	06
2007-2008	08	02	10	444	71	515

जन सहयोग द्वारा विद्यालय क्रमोन्नतिः

वर्ष 1995–96 से जनसहयोग द्वारा निर्धारित राशि ग्रामवासियों द्वारा राजकोष में जमा कराये जाने पर विद्यालयों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने की योजना प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ में यह राशि क्रमशः 2.00 लाख एवं 3.00 लाख निर्धारित की गई, तत्पश्चात् 3.00 लाख एवं 5.00 लाख रुपये कर दी गई थी। इस योजनान्तर्गत वर्ष 95–96 से 98–99 तक माध्यमिक स्तर पर 92 एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर 167 विद्यालय क्रमोन्नत किये गय। तत्पश्चात् इस योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किये गये।

जन सहयोग से क्रमोन्नत विद्यालयः

सत्र	उच्च माध्यमिक विद्यालय			माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1995-96	35	03	38	16	--	16
1996-97	32	--	32	18	01	19
1997-98	81	09	90	52	02	54
1998-99	06	01	07	03	--	03
योग	154	13	167	89	03	92

4. **कम्प्यूटर शिक्षा :–**

सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के प्रथम चरण में 624 उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय संचालित हैं, में कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2001–02 से कम्प्यूटर शिक्षा लागू की गई। द्वितीय चरण में शेष रहे रामावि/राउमावि में कुल 3334 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा सत्र 2002–03 में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिये लागू की गई।

राज्य में सत्र 2006–07 से कम्प्यूटर शिक्षा के लिए राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परियोजना के फेज – I व II के सभी विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 में अनिवार्य एवं कक्षा 11 व 12 में एच्छिक विषय के रुप में संचालित की गई है। कम्प्यूटर शिक्षा शुल्क गत वर्ष की भांति सत्र 2006–07 में भी जिले की स्वीकृत दर के अनुरुप होगा लेकिन छात्रों से निर्धारित शुल्क की आधी राशि ही दो छः माही किश्तों में (माह जुलाई एवं जनवरी) वसूल की जावेगी और आधी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेगी। इस हेतु 10.82 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया गया है। इस सत्र में बालिकाओं को कम्प्यूटर शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क की गई है इसके लिए बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा 3.00 करोड़ रुपये आंवटित किये गये हैं।

छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा की वार्षिक परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा और प्राप्तांक तालिका में दर्ज किये जावेंगे लेकिन कम्प्यूटर शिक्षा के प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण हेतु सम्मिलित नहीं किये जावेंगें और इसमें उतीर्ण होना भी अनिवार्य नही होगा।

इसके अलावा कम्प्यूटर शिक्षा के बेहतरीन संचालन हेतु एवं समस्याओं के समाधान हेतु जिला स्तर पर जिला समिति का गठन किया गया। उक्त समिति प्रतिमाह बैठक आयोजित कर अपने सुझाव प्रेषित करेगी जिसे राज्य स्तरीय समिति के विचारार्थ रखे जावेंगें।

5. 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध 13.76 करोड़ रुपये की सहायता से राज्य के कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के

लिए राज्य के समस्त 32 जिला मुख्यालयों पर जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। केन्द्रों पर सफल रुप से कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने हेतु जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण समितियां गठित की गई हैं। उक्त समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं तथा सदस्य सचिव के रुप में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम हैं। जिला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों के सफल संचालन हेतु सभी 32 केन्द्रों को एक–एक लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस राशि का उपयोग पानी–बिजली एंव केन्द्र के रख–रखाव आदि में व्यय किये जाने का प्रावधान है। प्रत्येक मुख्य केन्द्र पर 40 कम्प्यूटर रखते हुए शेष कम्प्यूटरों को उपखण्ड मुख्यालयों पर स्थानान्तरित कर छात्रों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त समस्त केन्दों को स्ववित्त पोषित किये जाने का भी कार्य किया जा रहा है।

विद्यालय निरीक्षणः

विद्यालयों के सुसंचालन एवं शैक्षिक कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार हेतु सतत् मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन के लिए सत्र के प्रारंभ से ही मण्डलों व जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा अपने–अपने क्षेत्र के अधीनस्थ विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया गया। वित्तीय वर्ष 2007–08 में माह अप्रेल से जुलाई,2007 तक 734 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है।

बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु प्रयास :

1. शैक्षिक सत्र 2006–07 में प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं के लिये विशेष शिक्षण की कार्य योजना बनाकर क्रियान्विति की गयी, जिसके तहत कक्षा 9 व 11 में 70 प्रतिशत एवं अधिक अंक प्रापत करने वाले छात्रों के लिए सितम्बर, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक विशेष शिक्षण–मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई। इसके साथ–साथ प्रत्येक विद्यालय से चयनित छात्र–छात्राओं के लिए शीतकालीन अवकाश के समय 7 दिवसीय जिला स्तरीय विशेष कोचिंग शिविर लगाए गए। सत्र 2007–08 के लिए निर्देश जारी किये जा रहे हैं।
2. सत्र 2006–07 के परीक्षा परिणाम के लिए विभागीय मानदंड के अन्तर्गत श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले अध्यापकों को प्रशंसा पत्र देने एंव न्यून परीक्षा परिणाम रहने पर विभागीय कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये गये हैं।
3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के परीक्षा प्रश्न–पत्र के पैटर्न पर आदर्श प्रश्न–पत्र मण्डल स्तर पर तैयार करवाकर विद्यालयो को अभ्यास हेतु उपलब्ध करवाये गये व न्यून परीक्षा परिणाम वाले जिलों को परीक्षा उन्नयन के लिए योजनाबद्ध प्रयास करने के निर्देश दिये गए।
4. संस्था प्रधान व विषय अध्यापक को दैनन्दिनी नियमित रुप से भरने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की गई ताकि वे अपने शिक्षण संबंधी दायित्वों को समय पर पूर्ण कर सकें एवं इसके लिए सजग रहें।
5. समस्त विषयों के शिक्षण की समुचित व्यवस्था के लिए संस्था प्रधान व विषयाध्यापको की यथा संभव सेवाएं समय पर विद्यालयों को उपलब्ध करवाई गई।
6. छात्रों में लेखन व अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करने के लिए गृह कार्य योजना प्रभावी रुप से लागू की गई।
7. विद्यार्थी के सर्वागीण विकास की जानकारी अभिभावक को उपलब्ध करवाने के लिए ''विद्यार्थी दैनन्दिनी'' नियमित रुप से संधारण की व्यवस्था की गई।

उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नतिः

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण 2005–06 में 500 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एवं 250 राजकीय माध्यमिक विद्यालयो को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई। उक्त घोषणा के अन्तर्गत 10 प्रतिशत विद्यालय संस्कृत शिक्षा के एवं शेष 90 प्रतिशत सामान्य शिक्षा के तथा 30 प्रतिशत विद्यालय छात्राओं के लिए क्रमोन्नत किए जाने थे। उक्त घोषणा के अन्तर्गत सामान्य शिक्षा में 491 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयो को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एवं 248 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जा चुका है। इनमें से क्रमशः 48 बालिका माध्यमिक विद्यालय एवं 31 बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं। वर्ष 2006–07 में 6 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं 6 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। वर्ष 2007–08 में 01 राजकीय उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय तथा 421 (351 छात्र एवं 70 छात्रा) माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये।

सत्र् 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में राजकीय उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं राजकीय माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों का जिलेवार विवरणः–

जिला	माध्यमिक विद्यालय			उच्च माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
जयपुर	36	6	42	21	1	22
भरतपुर	15	4	19	10	1	11
अलवर	29	1	30	11	3	14
सीकर	23	2	25	13	1	14
धौलपुर	7	0	7	4	0	4
दौसा	12	0	12	5	0	5
अजमेर	14	2	16	9	0	9
भीलवाड़ा	14	2	16	6	3	9
नागौर	24	1	25	9	2	11
टोंक	13	1	14	3	1	4
जोधपुर	12	3	15	7	2	9
पाली	19	1	20	10	1	11
सिरोही	6	0	6	2	1	3
जालौर	9	3	12	4	1	5
बाडमेर	21	0	21	6	2	8
जैसलमेर	5	2	7	1	0	1
उदयपुर	16	2	18	10	0	10
बांसवाड़ा	11	0	11	5	0	5
डूंगरपुर	6	1	7	3	1	4
राजसमंद	12	0	12	4	1	5
चित्तोड़गढ	16	1	17	6	1	7
कोटा	10	2	12	7	0	7
झालावाड़	12	2	14	6	3	9
बूंदी	10	0	10	5	2	7
बारां	9	2	11	7	1	8
करौली	9	0	9	4	0	4

स.माधोपुर	6	1	7	3	0	3
चूरु	19	0	19	11	0	11
बीकानेर	8	0	8	3	1	4
गंगानगर	13	2	15	7	0	7
हनुमानगढ	11	1	12	3	0	3
झुझुनू	16	6	22	12	2	14
योग	443	48	491	217	31	248

सत्र 2006–07

जयपुर	--	--	--	01	--	01
सीकर	03	--	03	03	--	03
डूंगरपुर	--	--	--	02	--	02
बांसवाड़ा	02	--	02	--	--	--
चूरु	01	--	01	--	--	--
योग	06	--	06	06	--	06

सत्र 2007–08 माध्यमिक से उच्च माध्यमिक

क सं.	जिले का नाम	छात्र	छात्रा	योग
1.	चूरु	11	2	13
2.	बीकानेर	7	1	8
3.	गंगानगर	10	3	13
4.	हनुमानगढ	8	5	13
5.	झुझुनूं	10	5	15
6.	जयपुर	16	2	18
7.	भरतपुर	12	1	13
8.	अलवर	18	2	20
9.	सीकर	13	4	17
10.	दौसा	9	4	13
11.	धौलपुर	4	0	4
12.	जोधपुर	16	3	19
13.	पाली	19	1	20
14.	सिरोही	3	2	5
15.	जालोर	11	1	12
16.	बाडमेर	12	2	14
17.	जैसलमेर	5	0	5
18.	कोटा	10	2	12
19.	झालावाड	15	1	16
20.	बून्दी	3	0	3
21.	बांरा	6	3	9
22.	करौली	6	3	9
23.	सवाई माधोपुर	4	0	4
24.	उदयपुर	21	4	25
25.	बांसवाडा	9	2	11
26.	डूंगरपुर	7	0	7
27.	राजसंमद	8	1	9
28.	चित्तौडगढ	15	3	18
29.	अजमेर	16	7	23
30.	नागौर	21	4	25
31.	भीलवाडा	14	1	15
32.	टोंक	12	1	13
33.	योग	351	70	421

2007–08 में राजकीय उच्च प्राथमिक से माध्यमिक

1	झुझूनू	01	00	01

खुला विद्यालय (ओपन स्कूल):

राज्य मे एक ओपन स्कूल सत्र् 2005–06 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहन(गार्गी पुरस्कार):

गार्गी पुरस्कार :– राज्य में बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकेण्डरी परीक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययन हेतु प्रमाणपत्र के साथ दो वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 1000 रुपयें प्रति बालिका पुरस्कार के रुप में दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में वर्ष 2006 के 7419 माध्यमिक परीक्षा, 13 प्रवेशिका परीक्षा (संस्कृत शिक्षा) की बालिकाओं को एवं गत वर्ष 2005 की 5460 माध्यमिक परीक्षा व 10 प्रवेशिका परीक्षा के बालिकाओं को बसंत पंचमी दिनांक 23.01.2007 को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार कुल 12902 बालिकाएं ''गार्गी पुरस्कार'' से लाभान्वित हुईं। इस हेतु 129.02 लाख रुपये की राशि बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए इस योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी है। वर्ष 2007–08 हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आगामी बसन्त पंचमी को गार्गी पुरस्कार की राशि पात्र छात्राओं को वितरित की जावेगी।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजनाः

सत्र 2006–07 ''पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के अन्तर्गत समस्त बी.पी.एल. परिवारों के आश्रित एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दो बच्चों को जीवन बीमा निगम द्वारा प्रति तिमाही 300/– रुपये वार्षिक 1200/– रुपये छात्रवृत्ति के रुप मे भुगतान किया जाता है। आवेदन पत्र संस्था प्रधानों / नगर निगम/ सम्बन्धित पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये जाते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित निकाय/ पंचायत में जमा करवाये जाते हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजनाः

यह योजना राज्य के 800 उमावि में चल रही है। वर्ष 2006–07 मे राज्यांश 90.00 लाख बजट/योजना रुपये का प्रावधान 700 विद्यालयों हेतु रखा गया है क्योंकि 100 विद्यालय स्ववित्त पोषित योजना द्वारा संचालित हैं। योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य संपर्क अधिकारी शिक्षा ग्रुप–4(अ) विभाग सचिवालय, जयपुर द्वारा दी जाती है।

विद्यार्थियों को देय विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियॉ

शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा अन्य अभिकरणों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विभिन्न निम्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए विभिन्न श्रेणियों के विद्यार्थी पात्र होते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग स्तर पर संचालित छात्रवृत्तियॉ नियमानुसार हैः–

Ø-la	छात्रवृत्ति का विवरण	कक्षा	पात्रता	कक्षावार मासिक छात्रवृत्ति दर (जुलाई से अप्रेल)
1	अनु.जाति,जनजाति विमुक्त एवं घुमन्तु जाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (साधारण)	6 से 10	अनु.जाति, जनजाति, घुमन्तु, विमुक्त तथा अन्य पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राएं	कक्षा 6 से 8 तक छात्र–15रु. छात्रा 20रु. मासिक कक्षा 9 से 10 छात्र 30रु. छात्रा 40रु. मासिक
2	अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	1 से 10	अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के छात्र–छात्राऐं (अनुसूचित जाति / जनजाति)	कक्षा 1 से 5 40रु.मासिक छात्र–6 से 8 60रु.मासिक कक्षा 9 से 10 75रु. मासिक व उपरोक्त समस्त को एक मुश्त अनुदान 550 रुपये वार्षिक
3	अनु.जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदत्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृति (साधारण)	11 व 12	अनु.जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राएं	कक्षा 11 व 12 डेस्कालर को 140 रु. तथा छात्रावासी को 290 रु. मासिक
4	अत्यन्त निर्धनता छात्रवृत्ति योजना	6 से 12	जिन छात्र–छात्राओं के पिता / संरक्षक की वार्षिक आय 2500 रुपये से अधिक न हो	कक्षा 6 से 10 तक 10रु. मासिक कक्षा 11 से 12 तक 15रु.मासिक
5	मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना	3 से 12	राजस्थान राज्य के मृत कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री	कक्षा 3 से 5 तक 10 रु. मासिक कक्षा 6 से 12 तक 15रु. मासिक
6	भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति	11व 12	55 प्रतिशत प्राप्तांकों से सैकण्डरी उतीर्ण पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियॉ	कक्षा 11 व 12 तक 100रु. मासिक(10 माह)
7	प्री–कारगिल युद्धों अर्थात 01.04.99 से पूर्व शुद्धों में शहीद / स्थायी विकलांगं के आश्रितों को छात्रवृत्ति	1 से 12	01.04.99 से पूर्व युद्धों में शहीद / स्थायी विकलांग हुए सैनिकों के सभी अध्ययनरत पुत्र–पुत्रियॉ	कक्षा 1 से 12 तक 180 रु. मासिक 1800रुपये (10 माह के लिए)
8	करगिल युद्ध में अर्थात् 01.04.1999 के पश्चात युद्धों में शहीद / स्थाई विकलांगों हुए सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति	1 से 12	01.04.99 के पश्चात् हुए युद्धों में शहीद / स्थायी विकलांग हुए सैनिकों के सभी अध्ययनरत पुत्र–पुत्रियां	कक्षा 1 से 12 तक 180 रुपये मासिक 1800 रुपये (10माह)
9	अनु.जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली विशेष छात्रवृत्ति	कक्षा 6 में प्रवेश तथा कक्षा 12 तक नवीनीकरण	अनु.जनजाति के 200 छात्र व छात्राओं हेतु जिनके गत कक्षा 5 में में 50 प्रतिशत अंक हों, आवेदन के लिए पात्र होंगें तथा इनका परिवार आयकर दाता नहीं हो। चयन परीक्षा के अधार पर।	विशेष उच्च प्रतिष्ठित शाला में अध्ययन करने के लिए समस्त खर्चे सम्बन्धित संस्था के प्रोस्पेक्ट्स अनुसार न्यूनतम एवं आवश्यक हो, राज्य सरकार द्वारा व्यय किये जाते हैं। इसमें डेस्कालर व छात्रावास दोनों प्रकार के विद्यालय सम्मिलित है। निःशुल्क आवास, भोजन व्यय भी सम्मिलित है।
10	अनु.जाति / अनु. –जनजाति के छात्र–छात्राओं को दी	कक्षा 2 से 9 तक प्रवेश	अनु.जाति / जनजाति के 1100 छात्र व छात्राओं हेतु जिनके	विशेष उच्च प्रतिष्ठित शाला में अध्ययन करने के लिए समस्त खर्चे सम्बन्धित संस्था के प्रोस्पेक्ट्स अनुसार न्यूनतम एवं आवश्यक हो,

	जाने वाली विशेष छात्रवृत्ति	(परीक्षा के माध्यम से) तथा कक्षा 12 तक नवीनीकरण	गत कक्षा में 50 प्रतिशत अंक हों, चयन के लिए पात्र होंगें। इनका परिवार आयकर दाता न हो।	राज्य सरकार द्वारा व्यय किये जाते हैं। इसमें डेस्कालर व छात्रावास दोनों प्रकार के विद्यालय सम्मिलित है। निःशुल्क आवास, भोजन व्यय भी सम्मिलित है।
11	भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली संस्कृत छात्रवृत्ति (भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना)	9 से 12	कक्षा 8 संस्कृत सहित उतीर्ण हों, न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों। कक्षा 11 व 12 के छात्र जिन्होंने ऐच्छिक विषय संस्कृत लिया हो।	कक्षा 9 से 10 तक 250 रु. तथा कक्षा 11 से 12 तक 300रु. प्रतिमाह की दर से 10 माह की छात्रवृत्ति देय। प्रति जिला कक्षा 9 से 12 तक 50–50 छात्रवृत्तियां देय।
12	राष्ट्रीय मैरिट छात्रवृत्ति योजना (भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना)	कक्षा 9से 12 तक	1.ग्रामीण क्षेत्र की सरकारी शाला में अध्ययनरत छात्र/छात्रा को कक्षा 8 के प्राप्तांक के आधार पर प्रत्येक ब्लॉक 2 छात्रवृत्ति (2 X237) तथा कक्षा 10 में नवीनीकरण 2.कक्षा 10 के प्राप्तांक के आधार पर शहरी/ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को मेरिट आधार पर कक्षा 11 में 445 छात्रवृतियां तथा कक्षा 12 में नवीनीकरण	कक्षा 9 एवं 10 के लिए 250/– रुपये प्रतिमाह (10 माह हेतु) एवं कक्षा 11 एवं 12 के लिए 300/– रुपये प्रतिमाह (10 माह हेतु)
13	अनुसूचित जाति /जनजाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम योजना (भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना)	कक्षा 9 एवं 10 से 12 तक पुनः नवीनीकरण	कक्षा 8 उर्तीर्ण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय का नियमित विद्यार्थी	चयनित विद्यालय में छात्रावास का न्यूनतम व्यय विशेष कोचिंग, पुस्तकें, प्रयोगशाला की अतिरिक्त सुविधाएं जिसमें निःशुल्क आवास, भोजन सुविधा भी सम्मिलित है।